भारतीय शिक्षा की स्थिति: समस्याएँ और संभावनाएँ

जगदीश प्रसाद मेहता[1] डॉ. समीर कुमार पांडे[2]

[1]शोधार्थी [2]शोध निर्देशक

विभाग:– शिक्षा

सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

ईमेल आईडी:– jpmehta4@gmail.com

संदर्भ

देश में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये यह मौलिक अधिकार बन गया। इसके अलावा शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिये केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों का अंबार लगा है तथा ऐसे उपायों की तलाश लगातार जारी रहती है, जिनसे इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकें। मानव संसाधन के विकास का मूल शिक्षा है जो देश के सामाजिक-आर्थिक तंत्र के संतुलन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

विषय संकेत:- शिक्षा गुणवत्ता, व्यक्तिगत सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास

परिचय:

शिक्षा सामाजिक प्रगति और व्यक्तिगत सशक्तिकरण की आधारशिला है, जो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। भारत के संदर्भ में, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और विविध आबादी के लिए जाना जाता है, शिक्षा की गुणवत्ता एक गंभीर चिंता के रूप में उभरी है। चूंकि भारत एक वैश्विक ज्ञान केंद्र बनने और अपने सभी नागरिकों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन और वृद्धि केंद्र में आ गई है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली एक समृद्ध इतिहास का दावा करती है, जिसमें नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा के प्राचीन केंद्र सदियों से ज्ञान के प्रतीक के रूप में काम कर रहे हैं। हालाँकि, समकालीन समय में, नामांकन और साक्षरता दर के मामले में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, शिक्षा की गुणवत्ता एक चुनौती बनी हुई है। शिक्षा की प्रभावशीलता का आकलन केवल नामांकित छात्रों की संख्या या वितरित सामग्री की मात्रा से नहीं किया जा सकता है; बल्कि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शिक्षा किस हद तक व्यक्तियों को प्रासंगिक कौशल, आलोचनात्मक सोच क्षमताओं और दुनिया की समग्र समझ से लैस करती है।

भारत में शिक्षा गुणवत्ता की खोज में चुनौतियाँ प्रचुर हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, पुराना पाठ्यक्रम, और शैक्षणिक प्रथाएँ जो महत्वपूर्ण सोच पर रटने को प्राथमिकता देती हैं, अच्छी तरह से विकसित शिक्षार्थियों के विकास में बाधा डालती हैं। इसके अलावा, शिक्षक गुणवत्ता और प्रशिक्षण चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि शिक्षक अक्सर कम प्रेरणा, अपर्याप्त मुआवजे और व्यावसायिक विकास के अवसरों तक सीमित पहुंच से जूझते हैं। सामाजिक-आर्थिक असमानताएं और क्षेत्रीय असंतुलन इन चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक असमान पहुंच हो जाती है।

इन चुनौतियों के बीच, ऐसे आशाजनक रुझान भी हैं जो आशा की किरण जगाते हैं। प्रौद्योगिकी के आगमन से नवोन्वेषी शिक्षण पद्धतियाँ और सूचना तक पहुँच ऐसी हुई है जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, डिजिटल संसाधन और वर्चुअल क्लासरूम शैक्षिक परिदृश्य को बदल रहे हैं और व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, योग्यता-आधारित शिक्षा और कौशल विकास पर चर्चा जोर पकड़ रही है, जो अधिक परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण की ओर बदलाव का सुझाव दे रही है।

यह शोध पत्र भारत में शिक्षा गुणवत्ता के बहुमुखी आयामों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों की जांच करके, इसे नया आकार देने की क्षमता रखने वाले उभरते रुझानों की खोज करके और मूल्यांकन तंत्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करके, इस पेपर का उद्देश्य भारत में शिक्षा की गुणवत्ता की स्थिति की व्यापक समझ प्रदान करना है। केस स्टडीज और अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं के माध्यम से, हम प्रभावी रणनीतियों और नीतिगत हस्तक्षेपों का पता लगाएंगे जो शिक्षा परिदृश्य में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
भारत में शिक्षा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और ध्यान, विश्लेषण और कार्रवाई की मांग कर रही है। ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था और सामाजिक रूप से समावेशी समाज बनने की दिशा में भारत की यात्रा की सफलता शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने की क्षमता पर निर्भर करती है। मौजूदा प्रतिमानों की आलोचनात्मक जांच करके, नवीन दृष्टिकोण अपनाकर और समग्र नीतियां तैयार करके, भारत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त कर सकता है जो न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि अपने शिक्षार्थियों के बीच महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और समग्र विकास का पोषण भी करती है।

समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपायों के द्वारा राज्यों एवं केंद्र सरकार के बीच नई ज़िम्मेदारियों को बाँटने की आवश्यकता महसूस की गई। जहाँ एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका एवं उनके उत्तरदायित्व में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, वहीं केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का भार भी स्वीकार किया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखना एवं देश की शैक्षिक ज़रूरतों का आकलन एवं रखरखाव शामिल है। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किये गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन पाँच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी।

संस्थागत समस्या है एक बड़ा कारण

इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के राज्यों में सर्वाधिक सरकारी कर्मचारियों की संख्या शिक्षा विभाग में ही देखने को मिलती है। इसमें भी शिक्षा के मोर्चे पर सामने तैनात रहने वाले (Frontline) अध्यापकों के अलावा हज़ारों अधिकारी और प्रशासक भी हैं जो हमारे शैक्षिक सेट-अप का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसके बावजूद भारत आज़ादी के 72 वर्षों बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में ठोस प्रयासों के बावजूद वांछित परिणाम हासिल नहीं कर पाया है और भारत का शिक्षा जगत अनेकानेक संस्थागत समस्याओं से प्रभावित है।

प्रमुख समस्याएँ

- हमारे देश का शिक्षा क्षेत्र शिक्षकों की कमी से सर्वाधिक प्रभावित है। UGC के अनुसार, कुल स्वीकृत शिक्षण पदों में से 35% प्रोफेसर के पद, 46% एसोसिएट प्रोफेसर के पद और 26% सहायक प्रोफेसर के पद रिक्त हैं।

- सरकारें भी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिये निरंतर प्रयास करती रहती हैं। लेकिन इसमें भी राज्यों द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा सुधार कार्यक्रमों के असफल हो जाने का जोखिम रहता है, क्योंकि वे परिवर्तन करते समय रोडमैप का अनुसरण नहीं करते और नीतियाँ बनाते समय सभी हितधारकों को भी ध्यान में नहीं रखा जाता।

- भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुत बड़ी चुनौती है। टॉप-200 विश्व रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को जगह मिल पाती है।

- उच्च शिक्षा में नामांकन का एक बड़ा हिस्सा राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों से आता है, जबकि इन राज्य विश्वविद्यालयों को अपेक्षाकृत बहुत कम अनुदान प्राप्त होता है। यूजीसी के बजट का लगभग 65% केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को शेष 35% ही मिलता है।

- वर्तमान में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसरों की जवाबदेही और प्रदर्शन सुनिश्चित करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। यह विदेशी विश्वविद्यालयों के विपरीत है, जहाँ फैकल्टी के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके साथियों और छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा का सशक्तीकरण

शिक्षा की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा (9वीं तथा 10वीं) का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इससे छात्र उच्च शिक्षा के लिये और दुनिया में कार्य करने के लिये तैयार होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और वैश्वीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में तेज़ी से हुए परिवर्तन तथा जीवन-स्तर को बेहतर बनाने और गरीबी को कम करने की आवश्यकता के मद्देनज़र यह जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा के आठ वर्षों की अवधि के मुकाबले स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल में ऊँचा स्तर प्राप्त हो, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का प्रमाण-पत्र रखने वाले की औसत आमदनी उस व्यक्ति से

ज़्यादा होती है, जो केवल आठवीं कक्षा तक पढ़ा होता है। इसीलिये 14 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को अच्छी और सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराना ज़रूरी है, जो कि उनकी पहुँच में हो।

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण: इसके लिये माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की केंद्र प्रायोजित योजना में विभिन्न शिक्षा अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, ताकि लोगों की रोज़गार क्षमता को बढ़ाया जा सके और कुशल जनशक्ति (Skilled Workforce) की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सके। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिये एक विकल्प उपलब्ध कराती है। यह योजना 1988 में लागू की गई थी, जिसमें 2011 में सुधार किये गए। संशोधित योजना का उद्देश्य देश में व्यावसायिक शिक्षा की मान्यता को बढ़ाना, योजना बनाने और उसे लागू करने में उद्योगों के साथ तालमेल रखना, अनुपयुक्त पाठ्यक्रमों तथा व्यावसायिक शिक्षा के प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी की समस्या पर ध्यान देना था। साथ ही माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के सशक्तीकरण से 2022 तक 50 करोड़ कुशल कर्मियों के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी।

स्कूली शिक्षा के लिये समग्र शिक्षा योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को स्कूल-पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों में बाँटा है ताकि इसकी निरंतरता लगातार बनी रह सके। योजना का उद्देश्य अंग्रेज़ी के T से बने शब्द– टीचर्स और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह योजना विभिन्न स्तरों की शिक्षा को बाँटे बिना स्कूली शिक्षा को समग्र दृष्टि से देखती है। यह योजना ग्रेड अनुसार, विषय अनुसार शिक्षा प्राप्ति के परिणामों पर आधारित है। योजना में सभी हितधारकों- माता-पिता/अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, समुदाय तथा राज्यकर्मी आदि की सक्रिय भागीदारी होती है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा मिशन

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की परिकल्पना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य कहीं भी किसी भी समय उच्च शैक्षिक संस्थानों में सभी विद्यार्थियों के फायदे के लिये शिक्षण और अध्ययन प्रक्रिया में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का पूरा इस्तेमाल करना है। इस मिशन के दो प्रमुख अंग हैं- संस्थानों और विद्यार्थियों को पहुँच प्रदान करने के साधनों का प्रावधान सहित संयोजकता सुविधा यानी जोड़ना और विषयवस्तु सृजन। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य देशभर में विद्यार्थियों को ई-सामग्री के रूप में सुलभ ज्ञान उपलब्ध कराना है।

नीति आयोग का SEQI

नीति अयोग ने एक राज्य-स्तरीय स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक बनाया है, जो सीखने के परिणामों में सुधार के एक केंद्रबिंदु का काम करता है। यह राज्यों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिये दिये गए अंकों के आधार पर रैंकिंग देता है। यह रैंकिंग न केवल राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित करती है, बल्कि अन्य राज्यों को भी लगातार सुधार करने के लिये प्रेरित करती है।

अनुभवजन्य शिक्षा: गांधी जी की 'नई तालीम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनुभवजन्य शिक्षा- गांधी जी की 'नई तालीम पाठ्यक्रम भी जारी किया है। यह पाठ्यक्रम असमिया, तमिल, बांग्ला, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, मराठी, तेलुगू, गुजराती, उर्दू और हिंदी भाषाओं में है। इस पाठ्यक्रम को देश के विश्वविद्यालयों सहित राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों के साथ परामर्श के बाद बनाया गया है।

इस पाठ्यक्रम में गांधी जी की नई तालीम के बुनियादी सिद्धांत दिये गए हैं, जिसके साथ स्कूलों, डी.एड., बी.एड. और अध्यापकों के विकास कार्यक्रमों से संबंधित पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। इसे राज्यों के विश्वविद्यालयों, राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद ने मिलकर तैयार किया है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग का अंग है, जो पाठ्यक्रम के विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा विश्वविद्यालयों और देश की स्वायत्तशासी संस्थाओं के उच्च शिक्षा कार्यक्रमों का दायित्व निभाता है।

शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। देश के शिक्षासंबंधी सभी अध्ययन और सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि शिक्षा के साथ विद्यार्थियों का स्तर भी अपेक्षा से नीचे है। इसके लिये सीधे शिक्षकों को दोषी ठहरा दिया जाता है और इस वास्तविकता से आँखें मूँद ली जाती हैं कि विद्यालयों/महाविद्यालयों का बुनियादी ढाँचा और शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था बेहद कमज़ोर है। देश में एक लाख से अधिक विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ केवल एक शिक्षक है। आज़ादी 72 वर्ष बाद भी यदि देश में शिक्षा की यह दशा और दिशा है तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सकारात्मक अभियान में सभी का सक्रिय सहयोग लेना आवश्यक होगा। इस अभियान में सरकार, नागरिक समाज संगठन, विशेषज्ञों, माता-पिता, सामुदायिक सदस्यों और बच्चों सभी के प्रयासों की आवश्यकता होगी। यही समय है जब स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के इस मुद्दे पर एक टीम इंडिया का गठन किया जाना चाहिये।

इसके अलावा, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिये शिक्षण विधियों, प्रशिक्षण और परीक्षण की विधियों में भी सुधार करने की ज़रूरत है। अभी शिक्षण की विधियाँ राज्य स्तर से तय की जाती हैं, जिनमें कक्षागत शिक्षण कौशलों को या तो नकार दिया जाता है या उन्हें परिस्थितिजन्य मान लिया जाता है।

शिक्षकों के अच्छे प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षण का दायित्व कर्त्तव्यनिष्ठ, योग्य और क्षमतावान प्रशिक्षकों को सौंपा जाना चाहिये। शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने, शिक्षण में नवाचारी पद्धतियों का विकास करने सहित परीक्षण/मूल्यांकन की व्यापक प्रविधियाँ तय कर उन्हें व्यावहारिक स्वरूप में लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत में शिक्षा की गुणवत्ता देश की प्रगति, सामाजिक एकजुटता और व्यक्तिगत भलाई के लिए सर्वोपरि महत्व का विषय है। जैसा कि यह शोध पत्र शिक्षा की गुणवत्ता की जटिल परतों में उतरा है,

यह स्पष्ट हो जाता है कि हालांकि भारत ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में सराहनीय प्रगति की है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं जो वास्तव में प्रभावी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली की प्राप्ति में बाधा बनती हैं।

अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, पुराने पाठ्यक्रम, रटने की प्रथाएँ, शिक्षक गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ और क्षेत्रीय असमानताएँ शामिल चुनौतियाँ व्यापक सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। ये चुनौतियाँ न केवल छात्रों की आलोचनात्मक सोच और समस्या-समाधान कौशल के विकास में बाधा डालती हैं, बल्कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित करके असमानता को भी बढ़ावा देती हैं। शिक्षा और उभरते नौकरी बाजार की मांगों के बीच तालमेल की कमी भी वास्तविक दुनिया के लिए स्नातकों की तैयारी के बारे में चिंता पैदा करती है।

हालाँकि, इन चुनौतियों के बीच, आशाजनक रुझान हैं जो शिक्षा परिदृश्य में संभावित परिवर्तन का संकेत देते हैं। तकनीकी प्रगति ने सीखने के नए रास्ते खोल दिए हैं, जिससे वैयक्तिकृत और इंटरैक्टिव शैक्षिक अनुभवों की अनुमति मिल गई है। योग्यता-आधारित शिक्षा और कौशल विकास की ओर बदलाव केवल सामग्री अवशोषण से अधिक परिणामों पर जोर देता है, शिक्षा को एक गतिशील वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों के साथ संरेखित करता है। नवोन्वेषी पहल, जैसा कि केस स्टडीज में उजागर किया गया है, दर्शाती है कि लक्षित हस्तक्षेप सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं और प्रणालीगत परिवर्तन को प्रेरित कर सकते हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता में प्रभावी सुधार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। नीतिगत हस्तक्षेप व्यापक पाठ्यक्रम सुधार की दिशा में होना चाहिए जो आलोचनात्मक सोच, समस्या-समाधान और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। शिक्षण प्रथाओं को बढ़ाने और एक सहायक शिक्षण वातावरण बनाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, प्रेरणा और व्यावसायिक विकास में पर्याप्त निवेश अपरिहार्य है। क्षेत्रीय असमानताओं को पाटने के लिए लक्षित पहल की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो।

इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता पर केंद्रित शिक्षा प्रणाली में मजबूत मूल्यांकन तंत्र शामिल होना चाहिए जो मानकीकृत परीक्षण से परे हो। मूल्यांकन के वैकल्पिक रूप, जैसे परियोजना-आधारित मूल्यांकन और व्यावहारिक प्रदर्शन, एक छात्र के समग्र विकास और कौशल अधिग्रहण को बेहतर ढंग से पकड़ सकते हैं। इस तरह के मूल्यांकन शिक्षकों को व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने निर्देश को अनुकूलित करने में भी मार्गदर्शन कर सकते हैं।

भारत में शिक्षा की गुणवत्ता एक चुनौती और अवसर दोनों है। परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने के लिए नीति निर्माताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और व्यापक समाज के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। पहचानी गई चुनौतियों का समाधान करके, उभरते रुझानों का लाभ उठाकर और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देकर, भारत एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाने की आकांक्षा कर सकता है जो आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए सक्षम, सर्वांगीण व्यक्तियों का पोषण करे। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में यात्रा न केवल देश के भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता है, बल्कि एक

उज्जवल और अधिक न्यायसंगत समाज को आकार देने के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास का प्रमाण भी है।

सन्दर्भ सूची

1. अग्रवाल, निधि. (2021)। हिंदी भाषा का महत्व और हिंदी का दायरा। 10.13140/आरजी.2.2.16237.92646।

2. एस. प्रसन्नकुमार (2014) "गैर-हिंदी भाषी छात्रों की हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुचि", खंड। 4(2): 2014

3. ऋषि राज बलवारिया (2013) "वडोदरा शहर के केंद्रीय विद्यालय स्कूलों के छात्रों की हिंदी लेखन में व्याकरण संबंधी गलतियों का एक अध्ययन" अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक ई-जर्नल, {त्रैमासिक}, आईएसएसएन 2277-2456, खंड-द्वितीय, अंक-IV, अक्टूबर-नवंबर-दिसंबर 2013

4. डॉ. निर्मल के. पटेल (2013) "भरूच जिले के प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षा की वर्तमान स्थिति", शिक्षा में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम। 2, अंक:6, जून 2013, (आईजेआरई) आईएसएसएन:2320-091एक्स

5. निदा कयूम, मोहम्मद सलीम और मोजफ्फर मंसूर (2021) "भारतीय स्कूलों में अंग्रेजी कौशल और उनके मूल्यांकन को पढ़ाने के उद्देश्य: विचलन पर एक अध्ययन", जर्नल ऑफ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक स्टडीज, 17(2), 755-766; 2021, आईएसएसएन: 1305-578एक्स

6. चंद्रा, पृथा. (2013)। हिंदी का आकलन. 10.1002/9781118411360.wbcla037.

7. गेविन टी.एल. ब्राउन, हरीश चौधरी, रत्ना धमीजा, शिक्षकों की स्व-रिपोर्ट की गई मूल्यांकन मान्यताओं और प्रथाओं पर मूल्यांकन नीति का प्रभाव: निजी स्कूलों में भारतीय शिक्षकों का एक अर्ध-प्रायोगिक अध्ययन, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, खंड 71, 2015, पृष्ठ 50 -64, आईएसएसएन 0883-0355, https://doi.org/10.1016/j.ijer.2015.03.001।

8. जीनिन ट्रेफ़र्स-डालर और अन्य, भारतीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के लिए कितने तैयार हैं? भारत के सरकारी स्कूलों में कक्षा में निम्न-एसईएस बच्चों के पढ़ने के कौशल, उनकी मौखिक शब्दावली और अंग्रेजी इनपुट के बीच संबंधों का विश्लेषण, अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान, खंड 43, अंक 4, अगस्त 2022, पृष्ठ 746-775, https:/ /doi.org/10.1093/applin/amac003

9. शिफालिका गोयनका और अन्य, भारतीय स्कूलों में तंबाकू रोकथाम कार्यक्रम का प्रक्रिया मूल्यांकन-तरीके, परिणाम और सीखे गए सबक, स्वास्थ्य शिक्षा अनुसंधान, खंड 25, अंक 6, दिसंबर 2010, पृष्ठ 917-935, https://doi.org /10.1093/उसे/cyq042

10. सीडीसी, तंबाकू के उपयोग और लत को रोकने के लिए स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए दिशानिर्देश, 1994 सीडीसी, स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग, अमेरिकी सरकार, सिफारिशें और रिपोर्ट। यहां उपलब्ध है:

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00026213.htm. एक्सेस किया गया: 4 सितंबर 2010

11. पांडे, आर. रीडर; श्रीवास्तव, एन. रिसर्च स्कॉलर। सकारात्मक-नकारात्मक प्रभाव अनुसूची के हिंदी संस्करण का साइकोमेट्रिक मूल्यांकन। औद्योगिक मनश्चिकित्सा जर्नल 17(1):पी 49-

54, जनवरी-जून 2008।

12. गुप्ता, ए. विकासात्मक डिस्लेक्सिया वाले हिंदी भाषी बच्चों की पढ़ने में कठिनाई। पढ़ना और लिखना 17, 79-99 (2004)। https://doi.org/10.1023/B:READ.0000013823.56357.8b

13. मानसी गुप्ता, विभा गुप्ता, रुचि नागर बकशी, विदुषी शर्मा, वृद्ध वयस्कों में मॉन्ट्रियल संज्ञानात्मक मूल्यांकन के हिंदी अनुवादित संस्करण की वैधता और विश्वसनीयता,

14. एशियन जर्नल ऑफ साइकेट्री, वॉल्यूम 45, 2019, पेज 125-128, आईएसएसएन 1876-2018, https://doi.org/10.1016/j.ajp.2019.09.022।

15. शेनॉय, एस., अय्यर, ए. और ज़ाहेदी, एस. भारतीय स्कूली शिक्षा के संदर्भ में किंडरगार्टनर्स के मूलभूत पढ़ने के कौशल में ध्वनि-आधारित निर्देश और सुधार। प्रारंभिक बचपन शिक्षा जे (2022)। https://doi.org/10.1007/s10643-022-01396-1

16. कुमार एम, सक्सेना ।, कुमार जे, कुमार जी, कपूर एस। विभिन्न शिक्षण एड्स के साथ व्याख्यान रणनीति का आकलन। जे क्लिन डायग्नोसिस रेस. 2015 जनवरी;9(1):सीसी01-5। डीओआई: 10.7860/जेसीडीआर/2015/10805.5413। ईपीयूबी 2015 जनवरी 1. पीएमआईडी: 25737979; पीएमसीआईडी: पीएमसी4347070।

17. राव, सी., टी. ए., एस., मिधा, आर. एट अल। DALI-DAB का विकास और मानकीकरण (भारत की भाषाओं के लिए डिस्लेक्सिया मूल्यांकन - डिस्लेक्सिया मूल्यांकन बैटरी)। ऐन. डिस्लेक्सिया 71, 439-457 (2021)। https://doi.org/10.1007/s11881-021-00227-z

18. निथम हिंदी और डॉन मिलर (2010) "कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लेखांकन विभागों में मूल्यांकन प्रथाओं का एक सर्वेक्षण", जर्नल ऑफ एजुकेशन फॉर बिजनेस, वॉल्यूम 75, 2000 - अंक 5, https://doi.org/10.1080/08832320009599030

19. जोशी, रामचन्द्र और गोयल, पूर्वी और जोशी, रविराज। (2020)। हिंदी पाठ वर्गीकरण के लिए गहन शिक्षण: एक तुलना। 10.1007/978-3-030-44689-5_9.

20. डॉ. सजिता नायर "सामाजिक उत्थान पर हिंदी साहित्य का प्रभाव" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ ट्रेंड इन साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, खंड-6 में प्रकाशित | अंक-4, जून 2022, पृष्ठ 37-42, यूआरएल: https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49941.pdf